

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

विविध (सी०एन०टी०) वाद संख्या-198/2012-13

राजू महतो

बनाम्-

इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड

-:आदेश:-

27.06.2024

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। आवेदक राजू महतो पिता श्री गिरिधारी महतो जाति कुर्मी ग्राम- सियालजोरी, अंचल चन्दनकियारी जिला-बोकारो के द्वारा निज भूमि जिसका ब्यौरा नीचे अंकित है, को इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड, मौजा सियालजोरी, थाना-सियालजोरी, जिला-बोकारो द्वारा मुख्तारनामा आमधारक श्री श्रीश कुमार पुत्र बाँके बिहारी केजरीवाल, निवासी प्लॉट सं०-10 लोहान्चल कॉलोनी, थाना सेक्टर-12 बी०एस०सिटी को कल-कारखाना लगाने हेतु बिक्री की अनुमति प्रदान करने के लिए सी०एन०टी० एक्ट की धारा 49 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

-: जमीन का विवरण :-

मौजा/ग्राम - सियालजोरी

थाना संख्या -202

खाता सं०	प्लॉट सं०	कुल रकवा	बिक्री हेतु रकवा
93	5655	60 डी०	27½ डी०
	5656	24 डी०	
	5664	44 डी०	
	5667	02 डी०	
	5672	08 डी०	
	5700	02 डी०	
	5705	02 डी०	
	5706	07 डी०	
	5730	04 डी०	
	5734	34 डी०	
	5789	08 डी०	
	5790	02 डी०	
	5800	1ए० 32डी०	
94	5652	62 डी०	27½ डी०
	5653	21 डी०	
	5660	27 डी०	
	5710	2ए० 78डी०	

h

	5712	1ए0 03डी0
	5713	2ए0 51डी0
	5775	15 डी0
	5784	2ए0 16डी0
146	5776	14 डी0
	5777	06 डी0
	5779	11 डी0
	5781	11 डी0
	5782	42 डी0
	5783	4ए0 33डी0
	5801	08 डी0
	5805	02 डी0
	5806	3ए0 18डी0

इस संदर्भ में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी से जॉच प्रतिवेदन पत्रांक-860, दिनांक-08.06.2024 का अवलोकन किया गया। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा सियालजोरी, थाना सं0-202 के अन्तर्गत खाता सं0-93 प्लॉट सं0-5655, 5656, 5664, 5667, 5672, 5700, 5705, 5706, 5730, 5734, 5789, 5790, 5800 रकवा क्रमशः 0.0100, 0.0030, 0.0050, 0.0003, 0.0010, 0.0003, 0.0003, 0.0010, 0.0005, 0.0050, 0.0010, 0.0030 एवं 0.0150 खाता सं0- 94, प्लॉट सं0-5652, 5653, 5660, 5710, 5712, 5713, 5775 एवं 5784 रकवा क्रमशः 0.0100, 0.0025, 0.0035, 0.0350, 0.0100, 0.0300, 0.0020 एवं 0.0300 खाता सं0- 146 प्लॉट सं0- 5776, 5777, 5789, 5781, 5782, 5783, 5801, 5805 एवं 5806 रकवा क्रमशः 0.0015, 0.0008, 0.0015, 0.0015, 0.0050, 0.0050, 0.0010, 0.0003 एवं 0.0400 बिक्री हेतु प्रस्तावित रकवा 27½ डी0 की भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है, जिसका किस्म बाईद, पुरातन पतीत, मोटा आईल, गोड़ा तीन, बाँध आईल दर्ज है तथा भूमि का स्वरूप पाईप लाईन परती है। बिक्रेता का मूल निवास ग्राम सियालजोरी, थाना सियालजोरी, बोकारो है जो जाति के कुर्मी है। सर्वे खतियान के अनुसार बिक्री की जाने वाली भूमि का खतियान नन्द महतो दीगर के नाम से दर्ज है। सरकारी अभिलेख पंजी II के पृष्ठ सं0-198, 197 एवं 199 भौलुम सं0-II ऑनलाईन में नन्दु महतो दीगर के नाम से जमाबंदी दर्ज है। सरकारी लगान रसीद वित्तीय वर्ष 2009-2010 तक निर्गत है। खतियानधारी/जमाबंदी रैयत से बिक्रेता का परपोता का संबंध है। बिक्री की जानेवाली भूमि बिक्रेता के हक एवं हिस्से के अन्तर्गत आता है बिक्रेता का दखल-कब्जा है। बिक्रेता को उक्त भूमि खतियान/केवाला/घरेलु बँटवारा द्वारा प्राप्त है। क्रेता भूमि क्रय करने पश्चात

भू-हदबंदी के दायरे में नहीं आते हैं। बिक्री के लिए प्रस्तावित भूमि भूदान, सैरात, वनभूमि तथा अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है। भूमि बिक्री करने के उपरांत विक्रेता के पास 2.00 एकड़ भूमि शेष बचती है, यथा भूमि बिक्री करने के उपरांत विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। प्रश्नगत भूमि के विरुद्ध क्रेता के द्वारा एकरारनामा के तहत मुआवजा 2,75,000/-रुपये की राशि दी गई है जिससे विक्रेता/आवेदक सहमत है। अंचल अधिकारी द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49 के तहत बिक्री/हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाने के लिए अनुशंसा की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि प्रश्नगत भूमि मौजा सियालजोरी, थाना सं०-202 के अन्तर्गत खाता सं०-93 प्लॉट सं०-5655, 5656, 5664, 5667, 5672, 5700, 5705, 5706, 5730, 5734, 5789, 5790, 5800 रकवा क्रमशः 0.0100, 0.0030, 0.0050, 0.0003, 0.0010, 0.0003, 0.0003, 0.0010, 0.0005, 0.0050, 0.0010, 0.0030 एवं 0.0150 खाता सं०- 94, प्लॉट सं०-5652, 5653, 5660, 5710, 5712, 5713, 5775 एवं 5784 रकवा क्रमशः 0.0100, 0.0025, 0.0035, 0.0350, 0.0100, 0.0300, 0.0020 एवं 0.0300 खाता सं०-146 प्लॉट सं०-5776, 5777, 5789, 5781, 5782, 5783, 5801, 5805 एवं 5806 रकवा क्रमशः 0.0015, 0.0008, 0.0015, 0.0015, 0.0050, 0.0050, 0.0010, 0.0003 एवं 0.0400 बिक्री हेतु प्रस्तावित रकवा 27½ डी० की भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का अपना स्वत्व, स्वामित्व, हक एवं पूर्ण अधिकार के साथ शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। आवेदक स्वेच्छा से प्रश्नगत भूमि, द्वितीय पक्ष (इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड) को कल-कारखाना लगाने के उद्देश्य से बिक्री करना चाहते हैं।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के दलील, अभिलेख में संधारित अन्य कागजात एवं अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा सियालजोरी, थाना सं०-202 के अन्तर्गत खाता सं०-93 प्लॉट सं०-5655, 5656, 5664, 5667, 5672, 5700, 5705, 5706, 5730, 5734, 5789, 5790, 5800 रकवा क्रमशः 0.0100, 0.0030, 0.0050, 0.0003, 0.0010, 0.0003, 0.0003, 0.0010, 0.0005, 0.0050, 0.0010, 0.0030 एवं 0.0150 खाता सं०- 94, प्लॉट सं०-5652, 5653, 5660, 5710, 5712, 5713, 5775 एवं 5784 रकवा क्रमशः 0.0100, 0.0025, 0.0035, 0.0350, 0.0100, 0.0300, 0.0020 एवं 0.0300 खाता सं०- 146 प्लॉट सं०- 5776, 5777, 5789, 5781, 5782, 5783, 5801, 5805 एवं 5806 रकवा क्रमशः 0.0015, 0.0008, 0.0015, 0.0015, 0.0050,

4

0.0050, 0.0010, 0.0003 एवं 0.0400 बिक्री हेतु प्रस्तावित रकवा 27½ डी0 की भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है, जिस पर आवेदक का अपना स्वत्व, स्वामित्व, हक एवं पूर्ण अधिकार के साथ शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। जिसे आवेदक स्वेच्छा से इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड, मौजा सियालजोरी, थाना-सियालजोरी, जिला-बोकारो द्वारा मुख्तारनामा आमधारक श्री श्रीश कुमार पुत्र बाँके बिहारी केजरीवाल, निवासी प्लॉट सं0-10 लोहान्चल कॉलोनी, थाना सेक्टर-12 बी0एस0सिटी को कल-कारखाना लगाने के उद्देश्य से बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित करना चाहते हैं।

वर्णित परिस्थिति में अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजात के आधार पर आवेदक राजू महतो पिता श्री गिरिधारी महतो जाति कुर्मी ग्राम- सियालजोरी, अंचल चन्दनकियारी जिला-बोकारो द्वारा द्वितीय पक्ष मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड, मौजा सियालजोरी, थाना-सियालजोरी, जिला-बोकारो द्वारा मुख्तारनामा आमधारक श्री श्रीश कुमार पुत्र बाँके बिहारी केजरीवाल, निवासी प्लॉट सं0-10 लोहान्चल कॉलोनी, थाना सेक्टर-12 बी0एस0सिटी को प्रश्नगत भूमि मौजा सियालजोरी, थाना सं0-202 के अन्तर्गत खाता सं0-93 प्लॉट सं0-5655, 5656, 5664, 5667, 5672, 5700, 5705, 5706, 5730, 5734, 5789, 5790, 5800 रकवा क्रमशः 0.0100, 0.0030, 0.0050, 0.0003, 0.0010, 0.0003, 0.0003, 0.0010, 0.0005, 0.0050, 0.0010, 0.0030 एवं 0.0150 खाता सं0- 94, प्लॉट सं0-5652, 5653, 5660, 5710, 5712, 5713, 5775 एवं 5784 रकवा क्रमशः 0.0100, 0.0025, 0.0035, 0.0350, 0.0100, 0.0300, 0.0020 एवं 0.0300 खाता सं0- 146 प्लॉट सं0- 5776, 5777, 5789, 5781, 5782, 5783, 5801, 5805 एवं 5806 रकवा क्रमशः 0.0015, 0.0008, 0.0015, 0.0015, 0.0050, 0.0010, 0.0003 एवं 0.0400 बिक्री हेतु प्रस्तावित रकवा 27½ डी0 की भूमि बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49 के अन्तर्गत निम्नांकित शर्तों पर दी जाती है:-

1. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(2) में वर्णित प्रावधानों के तहत द्वितीय पक्ष मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड, मौजा सियालजोरी, थाना-सियालजोरी, जिला-बोकारो द्वारा मुख्तारनामा आमधारक श्री श्रीश कुमार पुत्र बाँके बिहारी केजरीवाल, निवासी प्लॉट सं0-10 लोहान्चल कॉलोनी, थाना सेक्टर-12 बी0एस0सिटी किसी भी कारण से उद्देश्य पूर्ण होने पर प्रश्नगत भूमि को किसी तीसरे पार्टी को न तो हस्तांतरित करेंगे और न ही पट्टे पर देंगे। साथ

ही यदि उन्हें प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता नहीं हो तो विपक्षी बिना किसी शर्त के प्रथम पक्ष को वापस करेंगे।

2. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(3) के आलोक में विक्रेता द्वारा क्रेता को भूमि हस्तांतरण निबंधित केवाला के माध्यम से किया जाएगा।
3. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(4) में वर्णित प्रावधानों के तहत झारखण्ड मुद्रांक (अवमूल्यन निवारण) नियमावली वर्ष 2012 अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा अधिसूचित भूमि का न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शिका पंजी में उक्त राजस्व ग्राम हेतु अद्यतन औद्योगिक दर से कम मूल्य पर प्रश्नगत भूखण्ड का हस्तानांतरण नहीं होगा और यह दर किसी परिस्थिति में "The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013" एवं यथा संशोधित अधिनियम के आलोक में प्रश्नगत भूमि अन्तर्गत उस क्षेत्र में उस किस्म की दी जाने वाली भूमि के दर से कम नहीं होगा।
4. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(5) में वर्णित प्रावधानों से यह आदेश प्रभावित होगा।
5. क्रेता द्वारा Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy एवं सरकार द्वारा यथा संशोधित इस संबंध में निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित भू-लगान क्रेता द्वारा भूमि हस्तानांतरण के पश्चात राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।
7. अवर निबंधक, निबंधन से पूर्व क्रेता तथा विक्रेता के मध्य सहमति / Consensus के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

उक्त विवेचना/शर्तों के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी।
बोकारो।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

स्थान:- बोकारो

दिनांक:- 27/06/2024